नोटिस बैनर इग्नू : 21 जुलाई तक देशभर में आयोजित होगी जून सत्रांत परीक्षा

तैयारी अधूरी रहने के कारण प्रशासन ने लिया निर्णय, जल्द जारी होगी तिथि

जिले के 10 नवसृजित डिग्री कॉलेजों में आज से नहीं शुरू हो पायेगी पढ़ाई

प्रतिनिधि, सीवान

जिले के नवसृजित 10 डिग्री महाविद्यालयों में एक जुलाई से पढ़ाई प्रारंभ नहीं हो पायेगी. इसका मुख्य कारण राज्य स्तर पर इन संस्थानों में नये शैक्षणिक सत्र को लेकर तैयारियों का अधूरी होना बताया जा रहा है. हालांकि सीवान में जिला पदाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय के दिशा निर्देश में सभी दस नव सृजित महाविद्यालयों में तैयारी को अंतिम रूप दिया जा चुका है, सभी संस्थानों में आधारभूत संरचना को अधिष्ठापित भी किया जा चुका है. जिला शिक्षा पदाधिकारी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सोमवार को वरीय पदाधिकारियों के साथ हुई वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान यह निर्णय लिया गया. डीइओ ने बताया कि अब मुख्यमंत्री की सहमति के बाद पढ़ाई शुरू कराने की नयी तिथि तय की जाएगी. जिन छह विषय में पढ़ाई शुरू होनी थी उनमें हिंदी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र विषय शामिल है.

50-50 लाख रूपये आवंटित किये गए थे कॉलेजों के लिए : सरकार के स्तर से नये डिग्री कॉलेजों में पढ़ाई की तैयारी को लेकर 50-50 लाख रुपये दिए गए थे. इसमें 20 लाख रुपये जिलाधिकारी को आवंटित किया गया था, जिससे नए डिग्री महाविद्यालयों के भवनों का रंगाई-पोताई और मरम्मत आदि कार्य 30 मई तक कराने थे. जबकि 30-30 लाख रुपये कालेजों को आवंटित किया गया था जिससे कालेजों में डेस्क-बेंच, जल निकासी, विद्युत आपूर्ति, शौचालय, पेयजल सुविधा, ब्लैक बोर्ड, फर्नीचर, कंप्यूटर, वाटर कूलर आदि मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करना था. इतना ही नहीं, इन महाविद्यालयों में नई व्यवस्था को मुकम्मल तरीके से लागू करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग एक स्टीयरिंग कमेटी बना रखी है, जो पूरी व्यवस्था की मानिटरिंग कर रही है.

चार जुलाई को तीन सदस्यीय कमेटी करेगी जांच : जिला में डिग्री कॉलेज रहित 10 प्रखंडों आंदर, हुसैनगंज, दरौंदा, सिसवन, नवतन, दरौली, गुठनी, बसंतपुर, भगवानपुर हाट एवं लकड़ी नबीगंज में चिन्हित शैक्षणिक संस्थानों में राजकीय डिग्री महाविद्यालयों में संचालन के पूर्व चिन्हित शैक्षणिक संस्थानों में कक्षा संचालन, शिक्षण अधिगम सामग्री, फर्नीचर, आईटी एवं डिजिटल उपकरण, विद्युत उपकरण एवं अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाओं से अनुश्रवण तीन सदस्यीय कमेटी 4 जुलाई को करेगी. डीइओ ने बताया कि अनुश्रवण की जिम्मेदारी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा कुमार अभिजीत, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान जय कुमार व जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना शिक्षा रजनीश कुमार झा करेंगे. डीपीओ कुमार अभिजित दरौंदा, सिसवन, हुसैनगंज व आन्दर, डीपीओ जय कुमार लकड़ी नबीगंज, बसंतपुर व भगवानपुर हाट तथा डीपीओ रजनीश कुमार झा नौतन, गुठनी एवं दरौली प्रखंड में स्थापित नवसृजित डिग्री कॉलेज का अनुश्रवण कर रिपोर्ट सौंपेंगे. डीइओ राघवेंद्र प्रताप सिंह ने एलईओ-2 के कार्यपालक अभियंता को संबंधित सभी नवसृजित डिग्री कॉलेजों में असैनिक कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया है.

ये हैं नवसृजित राजकीय डिग्री महाविद्यालय

राजकीय डिग्री महाविद्यालय, आंदर, राजकीय डिग्री महाविद्यालय, बसंतपुर, राजकीय डिग्री महाविद्यालय, भगवानपुर हाट, राजकीय डिग्री महाविद्यालय, दरौली, राजकीय डिग्री महाविद्यालय, दरौंदा, राजकीय डिग्री महाविद्यालय, गुठनी, राजकीय डिग्री महाविद्यालय, हुसैनगंज, राजकीय डिग्री महाविद्यालय, लकड़ीनबीगंज, राजकीय डिग्री महाविद्यालय, नौतन, राजकीय डिग्री महाविद्यालय, सिसवन

स्वागत सप्ताह के तहत पुष्पवर्षा कर विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित

कार्यक्रम

प्रतिनिधि, बड़हरिया

प्रखंड के सभी सरकारी विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश के उपरांत मंगलवार को स्वागत सप्ताह का आयोजन कर बच्चों का स्वागत किया गया. इस दौरान विद्यार्थियों का रोली-चंदन लगाकर, फूलों की माला पहनाकर, चॉकलेट-बिस्किट देकर, फूलों की वर्षा कर स्वागत और सम्मानित किया गया. बीइओ राजीव कुमार पांडेय ने बताया कि गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूलों में स्वागत सप्ताह मनाने का मुख्य उद्देश्य बच्चों का उत्साह बढ़ाना और पूर्ववत उन्हें स्कूल से जोड़ना है.

प्रखंड के मिडिल स्कूल पहाड़पुर में पहले दिन हेडमास्टर राजाराम मांझी के नेतृत्व में बच्चों को तिलक लगाकर, माला पहनाकर, पुष्पवर्षा कर और फूल देकर उनका स्वागत किया गया. वहीं एनपीएस सदरपुर पूरब टोला में प्रधानाध्यापक रुपेश कुमार के नेतृत्व में चेतना सत्र के बाद वर्गकक्ष में प्रवेश के दौरान शिक्षक-शिक्षिकाओं ने रोली-चंदन लगाकर, फूलों की वर्षा कर, चॉकलेट-बिस्किट और मिठाई देकर विद्यार्थियों का भव्य स्वागत किया गया. उमवि सुहावनहाता में प्रधानाध्यापिका संगीता कुमारी के नेतृत्व में विद्यार्थियों को कॉपी-कलम सहित अन्य उपहार दिये गये.

गर्मी की छुट्टी के बाद खुले स्कूल, गुलजार हुआ कैंपस

सीवान. मंगलवार से कक्षा एक से आठवीं तक के सभी सरकारी विद्यालय खुल गए. विद्यालय की यूनीफार्म में स्कूल जा रहे बच्चे सभी के आकर्षण का केंद्र बने हुए थे. स्कूल के प्रवेश द्वारों पर बच्चे एक दूसरे से हाल चाल पूछते नजर आए. हालांकि पहले दिन होने के चलते उपस्थिति कम रही. मालूम हो कि एक जून से प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूल में गर्मी की छुट्टी थी. कक्षा नौ से बारहवीं के स्कूल 22 जून को खुल गए. जबकि अत्यधिक गर्मी के चलते आठवीं तक कि कक्षाएं जिला प्रशासन ने स्थगित कर दिया था. करीब 22 दिन बाद कक्षा एक से लेकर आठ तक के विद्यालयों में रौनक लौट आई.

कोई मामा तो किसी ने बुआ के घर बिताई छुट्टी : लंबी छुट्टी के बाद जैसे ही विद्यार्थी कक्षा में पहुंचे तो पढ़ाई से ज्यादा वो ये पूछ रहे थे कि छुट्टी के दौरान कहां घूमने के लिए गए थे. किसी विद्यार्थी ने कहा कि वो शिमला घूमने के लिए गया तो किसी ने कहा मामा तो किसी ने बुआ के पास जाने की बात कही. पहला दिन होने के कारण पढ़ाई भी इतनी नहीं हुई. शिक्षकों ने जो होमवर्क दिए थे, उसकी वे जांच कराते दिखे. जिन बच्चों का होमवर्क पूरा नहीं हुआ था वे अपना होमवर्क पूरा करते भी नजर आए. सुबह 6:30 बजे ही स्कूल लग गए थे. 12:20 बजे छात्रों की छुट्टी हो गई.

ग्रामीण विकास पदाधिकारी बनने पर राजकमल का हुआ स्वागत

सीवान. दरौली प्रखंड के तड़वा परासिया गांव में बीपीएससी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर ग्रामीण विकास पदाधिकारी बने राजकमल चौहान का मंगलवार को अभिनंदन किया गया. गांव पहुंचने पर लोगों ने उन्हें अंगवस्त्र एवं फूल-माला पहनाकर सम्मानित किया और उनकी सफलता पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी. स्वागत समारोह में अमरनाथ पटेल, नंदलाल भगत, सनी पटेल, शैलेंद्र मिश्रा, मेंटल श्रीवास्तव, लाल बाबू तिवारी, बंशीधर, नीतीश कुशवाहा, राजनाथ राम सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे.

शराब के साथ महिला तस्कर गिरफ्तार

बड़हरिया. सोमवार की देर शाम पुलिस ने थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव से छह लीटर शराब के साथ महिला को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार शराब के धंधेबाज महिला की पहचान माधोपुर के रमाशंकर चौधरी की पत्नी अंजू देवी के रुप में हुई है.

पति की हत्या में पत्नी ने चार लोगों के विरुद्ध करायी प्राथमिकी, दो गिरफ्तार

प्रतिनिधि, महाराजगंज

महाराजगंज थाना क्षेत्र के बिशुनपुर महुआरी गांव में भूमि विवाद को लेकर हुई खूनी मारपीट में 60 वर्षीय रामवकील भारती की मौत के मामले में मृतक के पत्नी कौशल्या देवी ने महाराजगंज थाना में दीनबंधु भारती, मिथिलेश भारती, सुजीत कुमार भारती तथा राजू भारती के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज करायी है. पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर मंगलवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. वहीं मामले का मुख्य आरोपी अब भी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है.

वर्ग दो से आठवीं तक के बच्चों का होगा मासिक आकलन

सीवान. सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में नामांकित वर्ग दो से लेकर आठ के बच्चों का मासिक आकलन होगा. इस संबंध में राज्य शिक्षा शोध व प्रशिक्षण परिषद के निदेशक ने डीइओ व एसएसए डीपीओ को निर्देश दिया है. निदेशक ने कहा है कि सभी सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक स्कूलों में अध्ययनरत कक्षा दो से आठ के सभी छात्र-छात्राओं का प्रत्येक माह के अंत में मासिक आकलन करना है. वही मासिक आकलन के लिए कक्षावार व विषयवार प्रश्न ई-शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे.

संबंधित विषय की घंटी में ही होगा आकलन : आकलन कार्य वर्ग कक्ष में संबंधित विषय की घंटी में ही किए जाएंगे. शेष विषय की कक्षा यथावत संचालित रहेगी. आकलन कार्य प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में ही करना है. एक दिन में अधिकतम दो विषयों का आकलन करना है. इस दौरान कक्षा एक का वर्ग संचालन नियमित रूप से होता रहेगा. कक्षा एक के छात्र-छात्राओं को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा. मूल्यांकन का कार्य स्कूल अपने स्तर से ही कराना होगा. प्रधान शिक्षक व प्रधानाध्यापकों की निगरानी में शिक्षक वर्ग कक्ष में ही विषयवार मासिक आकलन करेंगे.

आज से शुरू होगी नौवीं से लेकर 12वीं तक की त्रैमासिक परीक्षा

प्रतिनिधि, सीवान

डीइओ कार्यालय से प्रश्नपत्रों का उठाव करने पहुंचे एचएम व अन्य.

बीएसइबी ने सरकारी व मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत नौवीं, 10वीं व 12वीं की त्रैमासिक परीक्षा बुधवार से शुरू होगी. माध्यमिक विद्यालयों में यह परीक्षा तीन जुलाई तक होगी. जबकि माध्यमिक विद्यालयों 7 जुलाई तक परीक्षा होगी. परीक्षा का संचालन प्रतिदिन दो पालियों में किया जाएगा. पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से शुरू होगी. जबकि दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2:00 बजे से आयोजित की जाएगी. परीक्षार्थियों को परीक्षा के दौरान प्रश्नों को पढ़ने और समझने के लिए प्रश्न पत्र मिलने के बाद 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा. डीइओ राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि परीक्षा कार्यक्रम जारी किए जाने के बाद विद्यालयों में तैयारियां पूर्ण चुकी है. परीक्षा के माध्यम से छात्रों के शैक्षणिक विकास का मूल्यांकन किया जाएगा तथा उनकी सीखने की क्षमता का आकलन किया जाएगा. जिससे परीक्षा के परिणाम के आधार पर कमजोर छात्रों की पहचान कर उन्हें अतिरिक्त शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराया जा सके. इससे वार्षिक बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी में भी मदद मिलेगी. डीपीओ माध्यमिक कुमार अभिजीत ने बताया कि बिहार बोर्ड के निर्देश पर त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी कर ली गयी है. शिक्षण संस्थान के प्राचार्य को शांतिपूर्ण व कदाचार मुक्त आयोजित करने के लिए निर्देश दिया गया है.

प्रचार वाहन के माध्यम से किसानों को दी गयी खेती की जानकारी

बड़हरिया. मंगलवार को एलइडी टीवी प्रचार रथ वाहन के माध्यम से किसानों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन प्रखंड कृषि कार्यालय, दीनदयालपुर पंचायत के पंचायत सरकार भवन, चौकी हसन पंचायत के पंचायत सरकार भवन पर किया गया. एलइडी टीवी प्रचार रथ वाहन के माध्यम से किसानों को खेती की नई तकनीकी, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, कृषक हित समूह महिला खाद्य सुरक्षा समूह गठन, मिट्टी जांच, मृदा स्वास्थ्य कार्ड आधारित खेती, फसल चक्र सहित कृषि विभाग की अन्य योजनाओं को दिखाया और समझाया गया. इस एटीएम सतीश सिंह ने बताया कि ऑडियो सुनने के साथ ही वीडियो पर बात और समझ में आ जाती है. कार्यक्रम में कृषि समन्वयक बृजेश कुमार पाठक, सलाहकार किसान राजीव केशरी, बिगू कुमार, रमेश कुमार गिरि सहित अन्य उपस्थित थे.

जीविका दीदियों ने दिया नशामुक्त समाज का संदेश

भगवानपुर हाट. प्रखंड की खेढ़वा पंचायत में मंगलवार को जीविका दीदियों एवं पंचायत की महिलाओं ने नशामुक्त समाज के निर्माण और शराबबंदी कानून के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रभात फेरी निकाली. महिलाओं ने हाथों में जागरूकता संबंधी तख्तियां लेकर गांव की सड़कों पर भ्रमण किया और ग्रामीणों से शराब, तंबाकू एवं अन्य नशीले पदार्थों के सेवन, बिक्री और व्यापार का बहिष्कार करने की अपील की. इस दौरान महिलाओं ने सामूहिक रूप से नशामुक्त समाज के निर्माण की शपथ ली. उन्होंने कहा कि नशा व्यक्ति ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज को बर्बाद कर देता है. इसलिए सभी लोगों को शराबबंदी कानून का पालन करते हुए प्रशासन का सहयोग करना चाहिए. कहा कि जन-जागरूकता और सामूहिक सहभागिता से ही नशामुक्त बिहार और स्वस्थ समाज का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है.

मनरेगा के बदले प्रारूप वीबी जी राम जी से खेतीबारी करना होगा आसान

प्रतिनिधि, महाराजगंज

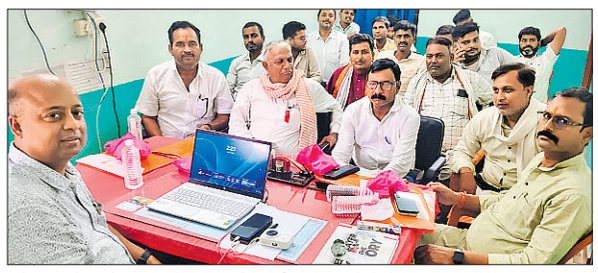

प्रशिक्षण में शामिल कार्यक्रम पदाधिकारी व जन प्रतिनिधि.

अनुमंडल मुख्यालय के मनरेगा भवन में मनरेगा के बदले प्रारूप के बारे में एकदिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया. कार्यक्रम पदाधिकारी नीरज कुमार ने जनप्रतिनिधियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के साथ नई योजना के बारे में विस्तृत रूप से बताया. उन्होंने बताया कि एक जुलाई से मनरेगा के बदले विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण योजना वीबी जी राम जी लागू हो जाएगी. इसके लागू होते ही मजदूरों को साल में अब 100 दिन के बजाय 125 दिन रोजगार मिलेगा. धान व गेहूं की बुआई व कटाई के समय 60 दिनों तक नई योजनाएं नहीं ली जाएंगी. कार्यक्रम पदाधिकारी ने बताया कि नई योजना पूर्ण रूप से डिजिटल है. इसमें पूरी तरह पारदर्शिता होगी. अब मजदूरों की उपस्थिति आधार व चेहरे की पहचान से दर्ज होगी. मौके पर मुखिया रत्नेश्वर यादव, शेषनाथ सिंह, कन्हैया राय, सुनील कुमार गुप्ता, मुन्ना कुमार, बिरन खान, बीडीसी योगेंद्र राय, मुकेश कुमार मांझी, जेई राजकुमार पंचायत तकनीकी प्रबंधक परम कुमार सिंह अब्दुल मन्नान अंसारी, पंचायत रोजगार सेवक विनोद शर्मा, धीरज कुमार तिवारी, हजरत अली नाज, अखिलेश कुमार साह, विनोद कुमार, कैलाश महतो व ऑपरेटर इसराफिल अंसारी सहित सभी कर्मचारी थे.

19 प्रखंडों में 25 विद्यालयों को पीएम श्री स्कूल का हो रहा संचालन

पीएम श्री विद्यालयों की गतिविधियों की समीक्षा

प्रतिनिधि, सीवान

मंगलवार को जिले के सभी पीएम श्री विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की बैठक आयोजित की गई. बैठक में शैक्षणिक गतिविधियां शुरू करने की तैयारियों की समीक्षा की गई. साथ ही सभी विद्यालयों को निर्देश दिया गया कि परिसर में स्पष्ट रूप से पीएम श्री विद्यालय नाम अंकित कराया जाए और आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूरी कर लिया जाय. डीइओ राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पीएम श्री विद्यालयों को माडल स्कूल के रूप में विकसित करने के लिए शिक्षा विभाग प्रतिबद्ध है. इन विद्यालयों में शिक्षा के साथ कौशल विकास पर भी समान रूप से ध्यान दिया जाएगा. जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके. 19 प्रखंड में चयनित 25 विद्यालयों को अब पीएम श्री विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा. इन विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 वीं कक्षा तक के छात्रों की पढ़ाई एक ही परिसर में होगी. शिक्षा विभाग ने इन विद्यालयों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की तैयारी शुरू कर दी है. पीएम श्री विद्यालयों में विषयवार शिक्षकों की नियुक्ति की गई है. जिन विषयों में शिक्षकों के पद अभी रिक्त हैं, उन्हें जल्द भरने की कार्रवाई की जा रही है. वहीं डीपीओ एसएसए जय कुमार ने बताया कि बैठक में जिन बिंदुओं पर चर्चा की गयी उसमें ट्विनिंग ऑफ स्कूल, एक भारत श्रेष्ठ भारत, मार्शल आर्टस, खाते का समायोजन करना तथा विद्यालयों में एलईडी लाइट की व्यवस्था करना प्रमुख रहा. बैठक में कंपोनेंट इंचार्ज हरीश कुमार सहित सभी 25 पीएम श्री विद्यालयों के प्रधानाध्यापक उपस्थित रहे.

प्रारंभिक विद्यालयों में चार को होगी शिक्षक-अभिभावक संगोष्ठी

सीवान. सरकारी प्रारम्भिक विद्यालयों में 4 जुलाई को शिक्षक-अभिभावक संगोष्ठी आयोजित की जाएगी. यह संगोष्ठी ड्रॉप आउट, सरकारी योजना व विद्यालय की मौलिक सुविधा थीम पर होगी. इस संब्ध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक कुमार निशांत विवेक ने डीइओ व डीपीओ को निर्देश दिया है. डीइओ राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि ड्रॉप आउट, सरकारी योजना एवं विद्यालय की मौलिक सुविधा थीम पर आधारित इस अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी के माध्यम से सभी अभिभावकों को विद्यालय से बाहर बच्चों का पुन: नामांकन, बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कराने तथा बच्चों को घर पर पढ़ने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने हेतु अभिभावकों को प्रेरित करना है.

कोर्ट नोटिस

न्यायालय सिविल जज सिनियर डिविजन-7 मो.-सिवान

हकियत वाद सं.-1212/2025 ई.

शुभम कुमार श्रीवास्तव-------वादीगण

बनाम

कृष्ण कुमार श्रीवास्तव वोगैर---प्रतिवादीगण

नोटिस बनाम:- 1.कृष्ण कुमार श्रीवास्तव पिता स्व. सकलदेव प्रसाद श्रीवास्तव, 2.गीता श्रीवास्तव पति जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव पिता स्व. सकलदेव प्रसाद श्रीवास्तव, 3.पुष्पलता विधवा स्व. नन्द कुमार श्रीवास्तव, 4.श्रीमती सुजाता अस्थाना, 5.श्रीमति विनीता सक्सेना,6.श्रीमती अमीता श्रीवास्तव, 7.श्रीमती अंजली श्रीवास्तव,8.श्रीमती रूमा श्रीवास्तव सभी पुत्रियां स्व. नन्द कुमार श्रीवास्तव, 9.कुमारी सीमा विधवा स्व. प्रेम कुमार श्रीवास्तव, 10.राजेश कुमार यादव पिता नन्दजी यादव, 11.पुनीता देवी पति राजेश कुमार यादव सभी ग्राम वो पो.-फरीदपुर,थाना-हुसैनगंज,जिला-सीवान, 11.मीना गुप्ता पति संजय कुमार गुप्ता,12.मनोज कुमार पिता स्व. कन्हैया प्रसाद दोनो ग्राम वो पो. वो थाना-आंदर,जिला-सीवान

चूं वादी ने आपके विरूद्ध उपरोक्त विभाजन वाद का मुकदमा दाखिल किया है. जिसमें आपलोगो की उपस्थिति हेतु न्यायालय द्वारा नजारत के माध्यम से सम्मन एवं डाक द्वारा रजिस्टर्ड सम्मन भेजा गया जिसके बाद भी आपलोग न्यायालय में उपस्थित नही हो रहे है. बजरिये इस प्रकाशन के अंतिम रूप से आपलोगो को सूचित किया जाता है. कि आप स्वयं या अपने अधिवक्ता के मार्फत दिनांक 07.08.2026 को समय 10.30 बजे दिन में न्यायालय में उपस्थित होकर अपना प्रभावी पक्ष प्रस्तुत करे अन्यथा आपकी अनुपस्थिति में न्यायालय द्वारा मुदईया के पक्ष में एकपक्षीय सुनवाई कर आदेश पारित कर दिया जायेगा. इसे अत्यावश्यक समझे. आज दिनांक 24.06.2026 को न्यायालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी की जाती है.

सिविल जज सिनियर डिविजन-7

मो.-सिवान

कोर्ट नोटिस

न्यायालय सिविल जज सिनियर डिवीजन-9 सिवान,जिला-सिवान

हकियत वाद सं० 48 सन 2026 ई.

योगेन्द्र प्रसाद एवं अन्य..... वादीगण

बनाम

प्रत्युष कुमार एवं अन्य..... प्रतिवादीगण

नोटीश बनाम :- 1. प्रत्युष कुमार वल्द चन्द्रमा भगत निवासी कस्बा सिवान लक्ष्मीपुर नया टोला प्रगना बारा, पोस्ट सिवान, थाना सिवान नगर जिला सिवान..... प्रतिवादी फरीक 1

2. अशोक कुमार कुशवाहा वल्द स्व० शिवजी प्रसाद, 3. आरती देबी पत्नी कृष्णा प्रसाद साकिनान मौजा पपौर प्रगना बारा थाना पचरुखी जिला सिवान ====== प्रतिवादी फरीक 2

चूं आपलोगों के उपर मेरे न्यायालय से सम्मन एवं निबंधित सम्मन भेजा गया इसके बावाद भी आपलोग मेरे न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, इसलिए इस प्रकाशन के माध्यम से आपलोगों को निर्देश दिया जाता है आपलोग दिनांक 3 माह 7 सन् 2026 को स्वयं या वकालतन हाजीर अदालत होकर अपना पक्ष रखे, बरना आपलोगों के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी, इसे अति आवश्यक समझे। आज तारीख 20 माह 5 सन् 2026 ई० को, मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुहर से जारी हुआ।

सिविल जज सिनियर डिवीजन-9, सिवान

कोर्ट नोटिस

ब अदालत सिविल जज सिनियर डिविजन 9 सीवान, जिला - सिवान।

हकियत वाद सं. 989/2025 ई0

राजेश साह वो०.....मुदईयान

बनाम

गौरी साह वो०.....मुदालहम

अदालति नोटिस

नोटिस बनाम

1.गौरी साह वल्द स्व. बबन तुरहा, 2- जय प्रकाश साह, 3- मुंगालाल साह, 4- जितेन्द्र साह पुत्रगण स्व. स्वामीनाथ साह, 5- नन्दजी साह 6 मनजी साह 7. संजय साह पुत्रगण- सभी प्रतिवादीगण साकिन मोरवन थाना - सिसवन पो० चैनपुर जिला-सिवान।

चुं हसब हिदायत वो परामर्श आप लोगो के उपर मेरे न्यायालय से सम्मन वो निबंधित सम्मन हुआ वाजुद इसके आप मेरे न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। इसलिए आपलोगो को के उपर यह प्रकाशन किया जाता है कि आप सभी मेरे न्यायालय में दिनांक 24 माह 7 वर्ष 2026 को खुद या वकालतन हाजिर हो बरना मुकदमा आपके विन्द्ध एकपक्षीय सुनवाई हेतु निश्चित की जाएगी।

आज दिनांक-8 माह-6 सन 2026 को मेरे हस्ताक्षर वो न्यायालय के मोहर से जारी होता है।

सिविल जज सिनियर डिविजन - 9 सीवान

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! **punjab national bank** ...the name you can BANK upon !

SAM विभाग, मंडल कार्यालय -चम्पारण, उज्जवल कॉम्पलेक्स, चाँदमारी चौक, मोतिहारी-845401, ई-मेल : cochamprecovery@pnb.bank.in

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना (ई नीलामी बिक्री सूचना)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 (1) के तहत पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल संपत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी सूचना. एतद द्वारा सामान्य रूप से आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) एवं बंधककर्ता(ओं)/जमानतदार (ओं) को सूचना दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियों को संरक्षित / सुरक्षित लेनदार को बंधक/प्रभारित किया गया है, जिसका रचनात्मक /भौतिक/सांकेतिक (जो भी लागू हो) जिसका कब्जा बैंक के अधिकृत अधिकारी /प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिया गया है. संबंधित उधारकर्ता(ओं) और जमानतदा(रों) से बैंक /सुरक्षित लेनदार होने के कारण अपनी बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे दिये तालिका में उल्लेखित तिथि पर ''जहां भी है'', ''जैसा भी है'', ''जो कुछ भी है'' और ''जिस अवस्था में है'' के आधार पर बेचा जाएगा. सुरक्षित मूल्य और अग्रधन जमा राशि संबंधित संपत्तियों के सामने नीचे दिये गये तालिका में उल्लेखित है.

सुरक्षित संपत्तियों की अनुसूची

ई नीलामी की तिथि : 17.07.2026 (ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि: 17.07.2026 पूर्वाह्न 11.00 बजे तक)

क्रम सं0	शाखा का नाम / खाता का नाम और खाता संख्या / नाम एवं पता उधारकर्ता/ गारंटर के खाते का	बंधक रखी गई अचल संपत्तियों का विवरण/स्वामी का नाम [संपत्ति(यों) के बंधककर्ता]-	ए) मांग सूचना कि तिथि U/S 13(2) / बी) बकाया राशि 13(2) नोटिस तिथि को / सी) कब्जा तिथि U/S 13(4) / डी) कब्जे की प्रकृति- प्रतिकात्मक/भौतिक/रचनात्मक	ए)सुरक्षित मूल्य- / बी) ईएमडी / सी) बीड वृद्धि की राशि	ई-नीलामी की तिथि/समय	भार का विवरण- सुरक्षित लेनदार
1	**पीएनबी-छितौली(144100)** **मेसर्स मुस्कान ईंट उद्योग (1441008700010680)** **मेसर्स मुस्कान ईंट उद्योग** प्रो0 मो0 इमतियाज ग्राम+पो0-रूसौरा बुसुनपुरा, थाना-महाराजगंज, सिवान-841238. **मो0 इमतियाज** वल्द-मो0 इब्राहिम ग्राम-छितौली कलां, पोस्ट-लक्ष्मीगंज, थाना-गोरेयाकोठी, जिला-सिवान-841439 **मो0 इब्राहिम** वल्द-नथुनी मियाँ ग्राम-छितौली कलां, पो0-लक्ष्मीगंज, थाना-गोरेयाकोठी, जिला-सिवान-841439	भूमि एवं भवन जो स्थित है मौजा-छितौली कलां, पो0- लक्ष्मीगंज, थाना- गोरेयाकोठी, जिला-सीवान में स्थित है, 1. डीड सं0- 5167 दिनांक 08.10.1991 थाना नं0- 114, तौजी नं0 1625/6843, खाता नं0- 328, खेसरा नं0- 748, रकबा 3 कट्ठा, चौहद्दी : उत्तर- निज नं0 दीगार, दक्षिण-अब्दुल मियां, पूरब-भुइधर साह बैदार, पश्चिम-मोबारक अंसारी, खाता नं0- 71, खेसरा नं0- 778, रकबा 1 कट्ठा 10 धुर, चौहद्दी : उत्तर-शिवपूजन प्रसाद, बैदार नं. हाजा, दक्षिण-निज नं0 दीगार वो में भाया होता है ता. इमरोजा, पूरब-रामप्रसाद बैदार नं0 हाजा, पश्चिम- निज बकिये मनमोकिरा मी नं0 हाजा. 2. डीड नं0- 5168 दिनांक 08.10.1991 जिसका मौजा छितौली कलां, थाना नं. 114, तौजी नं0- 1625 हाल 6843, खाता नं0- 71, सर्वे नं0- 778, रकबा 2 कट्ठा 10 धुर, चौहद्दी : उत्तर- मी नंबर हाजा जो दीगार वासिका में वाया होता है ब ता उमरोजा, दक्षिण-ब्रह्मदेव महतो बैदार नं0 दीगार, पूरब- रामप्रसाद बैदार नो हाजा, पश्चिम- निज बकिये मनमोकिरा मी नं0 हाजा, बंधककर्ता- मो0 इब्राहिम वल्द नथुनी मियां	ए) 09.01.2024 / बी) रू0 20,54,073.68/- 18.12.2023 को+ब्याज एवं अन्य शुल्क 19.12.2023 से पूर्ण भुगतान तक / सी) 08.05.2024 / डी) प्रतिकात्मक	ए) रू0 55,05,000/- / बी) रू0 5,50,500/- / सी) रू0 20,000/-	17.07.2026 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक	डीआरटी पटना में OA-66/2025 लंबित है

नियम व शर्तें : बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन होगा और निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा.

1. संपत्तियां ''जहां भी है'', ''जैसा भी है'', ''जो कुछ भी है'' और ''जिस अवस्था में है'' के आधार पर बेची जा रही हैं.
2. उपरोक्त अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा.
3. बिक्री वेबसाइट https://BAANKNET.COM पर उपलब्ध कराए गए ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से **17.07.2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक** अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जाएगी और सुरक्षित लेनदार द्वारा पुष्टि की जायेगी.
4. बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया Website https://baanknet.com & www.pnbindia.in पर जाएं.

स्थान-मोतिहारी
दिनांक : 30.06.2026

श्री रंजीत कुमार
प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक (सुरक्षित लेनदार)

STATUTORY 15 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 9(1) OF THE SARFAESI ACT, 2002